..यालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

..ठासीन अधिकारी :– संजना जोशी आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 60/2021

1. जगदीश चन्द्र पुत्र साहबराम जाति जाट साकिन 14 जेआरके–ए ढ़ाणी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

––– प्रार्थी

–:बनाम:–

1. हनुमान पुत्र लेखराम | जाति जाट साकिन भांभूवाली ढ़ाणी डबलीबास चैना
2. चन्दूराम पुत्र लाधुराम | तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. रजीराम पुत्र लाधुराम (फौत)

3/1. रेशमी पत्नी रजीराम | जाति जाट साकिन 28 केजेडी सियासर चौहान
3/2. मांगीलाल | पिसरान | तहसील खाजूवाला
3/3. सुरेन्द्र कुमार | रजीराम | जिला बीकानेर राजस्थान।
3/4. इन्द्रा पुत्री रजीराम पत्नी प्रकाश पुत्र रेखाराम | जाति जाट साकिन मनोरियो तहसील
3/5. सुमन पुत्री रजीराम पत्नी भीमसेन पुत्र रेखाराम | लूणकरनसर जिला बीकानेर राजस्थान।

4. वकीलप्रसाद | पिसरान देवीलाल जाति जाट साकिन भाम्भूवाली ढ़ाणी डबलीबास चैना
5. शंकरलाल | तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. मन्जू कुमारी पत्नी हेतराम | जाति जाट साकिन भाम्भूवाली ढ़ाणी डबलीबास चैना
7. अजय कुमार पुत्र हेतराम | तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. कुमारी गुन्जन उम्र 14 वर्ष पुत्री हेतराम नाबालिग जरिये कुदरति वली माता मन्जू कुमारी पत्नी हेतराम जाति जाट साकिन भाम्भूवाली ढ़ाणी डबलीबास चैना तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

––– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. बाबत् रास्ता स्वीकृति

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगराजसिंह भारी अधिवक्ता –– प्रार्थी
2. श्री गुरमेल सिंह अधिवक्ता –– अप्रार्थी सं. 1 ता 8
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा –– अप्रार्थी सं. 9

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 17/10/23

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 11 एमओडी के खाता संख्या 11/52 के प. न. 57/261(5) के किला नम्बर 21 ता 24 की 1.012 हैक्ट., प.न. 56/262(11) किला नं. 5/1 की 0.127 हैक्ट., प.नं. 57/262(12) किला नं. 1 ता 3 की 0.759 हैक्ट. कुल 1.898 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड वाके है। अप्रार्थी सं. 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमओडी के खाता सं. 14/56 के प.नं. 57/261(5) के किला नं. 11/1/0.240, 12 ता 15 की 1.252 हैक्ट. नहरी खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड वाके है। अप्रार्थी सं. 3 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमओडी के खाता सं. 47/56 के प.नं. 57/261(5) किला नं. 18/1/0.240, 19/1/0.240, 20/1/0.240 की कुल 0.720 हैक्ट. नहरी खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड वाके है। अप्रार्थी सं. 4, 5 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमओडी खाता सं. 59/56 के प.नं. 57/261(5) किला नं. 16, 17 की

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

हैक्ट. नहरी खातेदारी में 2/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड वाके है। अप्रार्थीगण 6, 7, 8 के नाम ...ब भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमओडी के खाता सं. 36/56 के प.नं. 57/261(5) किला नं. 6 ता 9, 10/1/0.240 की 1.252 हैक्ट. नहरी खातेदारी ब.हि.ब. दर्ज रिकॉर्ड वाके है।

अप्रार्थी सं. 1 ता 8 के नाम चक 11 एमओडी के प.नं. 57/261 के किला नं. 1 के चिपते ही प.नं. 56/261 किला नं. 1 ता 5 में सरकारी रास्ता मन्जूरशुदा है व मौका पर चालू है। प्रार्थी के नाम दर्ज कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमओडी के खाता सं. 11/52 के प.नं. 27/261(5) किला नं. 21 ता 24 की 1.012 हैक्ट. में आने जाने के लिये प्रार्थी के पास कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये चक 11 एमओडी के प.नं. 57/261(5) किला नं. 1, 10, 11, 20 में 0.013–0.013 हैक्ट. बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा रास्ता उपयोग व उपभोग में ले रहा है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि में से चक 11 एमओडी के प.नं. 57/261(5) किला नं. 1, 10, 11, 20 में 0.013–0.013 हैक्ट. बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर दक्षिण लंबा रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के हकदार है। उक्त रास्ता अप्रार्थीगण व प्रार्थी की कृषि भूमि को लगता है। उक्त रास्ता की जरूरत अप्रार्थीगण को भी है। रास्ता में आई कृषि भूमि किला नं. 1, 10, 11 में 0.013–0.013 हैक्ट. अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 के नाम है जिस पर कि मौका पर रास्ता चालू है व किला नं. 20 में 0.013 हैक्ट. कृषि भूमि जिसमें बजानिब पश्चिम दिशा रास्ता चल रहा है। अप्रार्थी सं. 3 के नाम है उक्त रास्ता किला नं. 20 में आई कृषि भूमि 0.013 हैक्ट. की एवज में प्रार्थी उतनी भूमि/डीएलसी दर से अप्रार्थी सं. 3 को देने को तैयार है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 के नाम चक 11 एमओडी के प.नं. 57/261(5) के किला नं. 2 ता 24 की कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिये चक 11 एमओडी के प.नं. 57/261 के किला नं. 1, 10, 11 में बजानिब पश्चिम दिशा में 0.013–0.013 हैक्ट. कृषि भूमि रास्ता उपयोग हेतू ले रखी है जो कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी चक के 57/261(5) किला नं. 18/2/0.013, 19/2/0.013, 20/2/0.013 हैक्ट. कृषि भूमि अप्रार्थीगण सं. 1, 4, 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। किला नं. 1, 10, 11 व किला नं. 18, 19, 20 की 0.013–0.013 हैक्ट. कृषि भूमि जो कि अप्रार्थीगण के नाम है, को रास्ता उपयोग में लिया जा रहा है। मौका पर चक 11 एमओडी के प.नं. 57/261(5) के किला नं. 1, 10, 11, 20 में मौका पर रास्ता चल रहा है।

अप्रार्थी सं. 9 जो कि भू–धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है।

प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के नाम वर्णित कृषि भूमि में से चक 11 एमओडी के प.नं. 57/261(5) किला नं. 1, 10, 11, 20 में 0.013 – 0.013 हैक्ट. बजानिब पश्चिम दिशा मे उत्तर दक्षिण लम्बा रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाये।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,2, 4 ता 7 की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल हाजिर आये। अप्रार्थी संख्या 3 को बाद तामिल कोई हाजिर नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 ता 7 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कथन प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पंजीकृत पते संबंधित होने सत्य होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कथन सत्य होने से

है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4 में वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 5 में वर्णित जिस प्रकार दर्ज किये गये है, असत्य होने से अस्वीकार है। प.नं. 57/261 के किला नं. 16, 17 की भूमि अप्रार्थी सं. 4 व 5 के नाम दर्ज नहीं होकर राधा देवी पत्नी देवीलाल, शारदा देवी पुत्र देवीलाल, रवि कुमार पुत्र गोपीराम, सुनील कुमार पुत्र रणजीतराम के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में राधा देवी, शारदा देवी, रवि कुमार, सुनील कुमार को किसी रूप में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 6 में वर्णित कथन सत्य होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 7 में जिस प्रकार कथन वर्णित किये गये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है कि अप्रार्थी सं. 1 ता 8 के नाम चक 11 एम.ओ.डी. प.नं. 57/261 के चिपते नं. 56/261 के किला नं. 1 ता 5 में स्वीकृत शुदा रास्ता हो। प्रार्थी का यह कथन भी पूर्ण रूप से असत्य है कि प्रार्थी अपनी प.नं. 57/261 के किला नं. 21 ता 24 की भूमि के उपयोग के लिये प.नं. 57/261 के किला नं. 1, 10, 11, 20 के पश्चिम दिशा से उत्तर–दक्षिण लम्बे रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा हो। प्रार्थी की भूमि के लिये प.नं. 57/261 के किला नं. 1, 10, 11, 20 में न तो कभी कोई रास्ता चला तथा न ही वर्तमान में चल रहा है। प्रार्थी का यह कथन भी पूर्ण रूप से असत्य है कि प.नं. 57/261 के किला नं. 1, 10, 11 में 1–1 बिस्वा रास्ता अप्रार्थी सं. 1 ता 8 की भूमि में चल रहा हो तथा अप्रार्थी सं. 3 की भूमि प.नं. 57/261 के किला नं. 20 में प्रार्थी 0.013 हैक्टेयर भूमि किसी रूप में स्वीकृत करवाने का अधिकारी हो। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 8 में वर्णित कथन जिस प्रकार दर्ज किये गये है। असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है कि चक 11 एम.ओ.डी के प.नं. 57/261 के किला नं. 2 व 24 की भूमि में प्रवेश करने के लिये प.नं. 57/261 के किला नं. 1, 10, 11, 20 के पश्चिम दिशा में 0.013–0.013 हैक्टेयर भूमि में रास्ता चल रहा हो। प.नं. 57/261 के किला नं. 5 की भूमि राजेन्द्र पुत्र बृजलाल के नाम व प.नं. 57/261 के किला नं. 25 की भूमि इन्द्रसेन पुत्र रणजीत के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प.नं. 57/261 की भूमि में कोई रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व राजेन्द्र पुत्र बृजलाल, इन्द्रसेन पुत्र रणजीत, राधा देवी पत्नी देवीलाल, शारदा देवी पुत्री देवीलाल, रवि कुमार पुत्र गोपीराम, सुनील कुमार पुत्र रणजीत राम को सुना जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने उक्त व्यक्तियों को प्रकरण में पक्षकार संयोजित किये बिना ही हस्तगत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जो कि विधिसम्मत नहीं होने से खारीज़ होने योग्य है। प्रार्थी प.नं. 57/261 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में कोई रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। कि विकल्प में श्रीमान् न्यायालय किसी कारण वश अप्रार्थीगण की भूमि प.नं. 57/261 के किला नं. 1, 10, 11, 20 में कोई रास्ता स्वीकृत करना चाहता है तो अप्रार्थीगण को जितनी भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उसके बदले प्रार्थी की चक 11 एमओडी के प.नं. 57/261 का किला नं. 21 की भूमि अप्रार्थीगण को रास्ते के बदले दिलवाई जावे। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 10 में वर्णित कथन कानूनी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के दुर्भावनापूर्वक आशय से प्रस्तुत किया गया होने से मय खर्चा खारीज किये जाने की कृपा की जावे।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक रीडर/2022/145 दिनांक 25.04.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता चक 11 एमओडी के प.नं. 57/261(5) किला नं. 1 में चालू है। किला नं. 10, 21 में वही चल रहा है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से संबंधित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता जो चाहे गये रास्ता से कम

नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर नहीं है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 22 नियम 4 सीपीसी एवं सपठित आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांक 25.07.2022 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 3 की मृत्यु हो जाने के कारण उनके कुल 5 जायज व कानूनी वारीसान को बतौर अप्रार्थी सं. 3/1 ता 3/5 पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाये। अप्रार्थी सं. 1, 2, 4 ता 7 के अधिवक्ता ने विरोध दर्ज करवाया। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी एवं सपठित आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांक 25.07.2022 के निर्णय दिनांक 16.01.2023 को संबंधित वारीसान को अप्रार्थी सं. 3/1 ता 3/5 पक्षकारान के रूप में संयोजित किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल मिशल किया गया।

अप्रार्थी सं. 1 ता 8 की ओर श्री गुरमेलसिंह अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिशल किया गया। दिनांक 11.09.2023 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1, 2, 3/2, 4 ता 8 स्वयं उपस्थित होकर तहरीरशुदा राजीनामा पेश किया। उभयपक्ष की पहचान व तस्दीक बाद राजीनामा शामिल मिशल किया गया। उभयपक्ष ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमओडी के खाता सं. 11/52 के प.नं. 57/261 (5) किला नं. 21 ता 24 की 1.012 हैक., प.नं. 56/262 (11) किला नं. 5/1 की 0.127 हैक., प.नं. 57/262 (12) किला नं. 1 ता 3 की 0.759 हैक. कुल 1.898 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। अप्रार्थी सं. 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमओडी के खाता सं. 14/56 के प.नं. 57/261 (5) किला नं. 11/1/.240, 12 ता 15 की 1.252 हैक. नहरी खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अपने नाम वर्णित कृषि भूमि का बैयनामा वकीलप्रसाद – शंकरलाल के पक्ष में करवा दिया है अब यह कृषि भूमि वकीलप्रसाद – शंकरलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो निम्न है –तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमओडी के खाता सं. 47/56 के प.नं. 57/261 (5) किला नं. 18/1/.240, 19/1/.240, 20/1/.240 की 0.720 हैक. नहरी खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। अप्रार्थी सं. 4, 5 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमओडी के खाता सं. 59/56 के प.नं. 57/261 (5) किला नं. 16, 17 की 0.506 हैक. नहरी खातेदारी में 2/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। अप्रार्थीगण सं. 6, 7, 8 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमओडी के खाता सं. 36/56 के प.नं. 57/261 (5) किला नं. 6 ता 9, 10/1/.240 की 1.252 हैक. नहरी खातेदारी ब.हि.ब. दर्ज रिकार्ड वाके है। अप्रार्थी सं. 1 ता 8 के नाम चक 11 एमओडी के प.नं. 57/261 के किला नं. 1 के चिपते ही प.नं. 56/261 किला नं. 1 ता 5 में सरकारी रास्ता मन्जूरशुदा है व मौका पर चालू है। प्रार्थी के नाम दर्ज कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 11 एमओडी के खाता सं. 11/52 के प.नं. 57/261 (5) किला नं. 21 ता 24 की 1.012 हैक. में आने जाने के लिये प्रार्थी के पास कोई सुविधाजनक रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये चक 11 एमओडी के प.नं. 57/261 (5) किला नं. 1, 10, 11, 20 में 0.013 – 0.013 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में उतर दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने की आवश्यक्ता है। पक्षकारान के मध्य आज रोज राजीनामा हो चुका है। बतौर राजीनामा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता को अप्रार्थीगण द्वारा चक 11 एमओडी के अब मौका पर चालू खाता सं. 37/56 के प.नं. 57/261 (5) किला नं. 1/2, 10/2, 11/2 प्रत्येक में 0.013 – 0.013 हैक.व खाता सं. 47/56 के प.नं. 57/261 (5) किला नं. 20/1 में 0.013 हैक. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उतर दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपति व एतराज नही होगा। अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता में आई कृषि भूमि की एवज में राशि प्रार्थी से रोबरू गवाहान नगद प्राप्त कर ली है। अब कुछ भी राशि लेनी शेष नही रही है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1, 2, 3/2, 4 ता 8 उक्त राजीनामा में शामिल है व अप्रार्थी सं. 3/1, 3/3,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा